पत्र संख्याः–15/बि0स0से0–03–06/2016 सा0प्र0................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
प्रधान सचिव,
पर्यटन, विभाग, बिहार, पटना
प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक.........................

विषयः–स्थानातंरित/प्रतिनियुक्त सहायकों को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 184 दिनांक 23.06.2017 के क्रमांक–04 द्वारा **श्री मनोज कुमार सिंह (सिविल लिस्ट क्रमांक–550), सहायक, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त कर्यालय, पूणियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ** में पदस्थापित किया गया है, कार्यालय आदेश ज्ञापांक 412 दिनांक 08.12.2017 के क्रमांक–02 द्वारा **श्री उपेन्द्र कुमार (सिविल लिस्ट क्रमांक–693), सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना** में पदस्थापित किया गया है तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक 424 दिनांक 13.12.2017 के क्रमांक–01 द्वारा **श्री सुरेन्द्र प्रसाद (सिविल लिस्ट क्रमांक–53), सहायक, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक बिहार संवाद समिति, पटना** में प्रतिनियुक्त किया गया है। इन सहायकों द्वारा विरमित होकर नव पदस्थापन/प्रतिनियुक्त विभाग/कार्यालय में अभी तक योगदान नहीं किया गया है। इससे संबंधित विभाग/कार्यालय के कार्यों में प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त सहायकों को दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 15.03.2018 तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में इन स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त सहायकों को दिनांक 16.03.2018 से स्वतः विरमित समझा जायेगा तथा स्थानांतरित सहायकों के माह मार्च, 2018 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित विभाग/कार्यालय से ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(शिव महादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्याः–15/ बि0स0से0–03–06/2016 ....**पटना–15, दिनांकः–**...............................

प्रतिलिपिः–सभी स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त सहायकों/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

457 | Path-D:\PK\sush\Letter.docx

2) सभी स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त सहायकों को निदेशित किया जाता है कि दिनांक 15.03.2018 तक संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 16.03.2018 से स्वतः विरमित होकर स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त विभाग/कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करें।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/ बि0स0से0–03–06/2016......3232......**/, पटना–15, दिनांक**...8.3.18...

प्रतिलिपिः– आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.3.18

सरकार के अवर सचिव।